पर्यावरण बोध संस्थान,चकराजपुरा

प्रधान कार्यालय–बोध भवन,चकराजपुरा गॉव सहजनपुर पोस्ट भोपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली(राजस्थान)322230

संध विधान पत्र

1. समिति का नाम :–	इस समिति का नाम –"पर्यावरण बोध संस्थान,चकराजपुरा" गॉव सहजनपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली राज्य राजस्थान है व रहेगा।
2.समिति का पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र	इस समिति का पंजीकृत कार्यालय–बोध भवन,चकराजपुरा गॉव सहजनपुर पोस्ट भोपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली (राजस्थान) है व रहेगा । तथा इसका कार्यक्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य क्षेत्र तक सीमित होगा ।
3.समिति के उद्देश्य	इस समिति के निम्न लिखित उद्देश्य है:–

1.पर्यावरण सरंक्षण हेतु राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में पक्की सडको,स्वीकृत रास्तो की अर्ध्द पक्की सडको के दोनो किनारो पर,राजस्व रिकार्ड में दर्ज देवस्थान भूमि,श्मशान भूमि पर,तालाबो व नहरो के किनारो पर वृक्ष लगाना,उन वृक्षो की सरंक्षा हेतु सुरक्षा,बाड हेतु कटीली झाडिया,कटीले तार,लोहे की जाली,लोहे के टी गार्ड लगाना तथा ईटो की चिनाई व्दारा सुरक्षा घेरा बनाना तथा समय समय पर वृक्षो(पोधो) में पानी देना सम्मिलित है ।

2.राजस्थान राज्य के सार्वजनिक स्थानों पर,अस्पतालों, विधालयों,ग्राम पंचायत कार्यालय परिसरों में,सिवायचक एवं चारागाह भूमि पर जहॉ सम्बन्धित विभागो के सक्षम अधिकृत व्यक्तियों व्दारा उपलब्ध नियमानुसार स्वीकृति से वृक्षारोपण किया जाना,उनकी सरंक्षा,सरंक्षण करते हुये आवश्यक बाडबन्दी किया जाना तथा आवश्यकतानुसार खाद पानी की व्यवस्था करना।

3.पर्यावरण सरंक्षण के लिये केन्द्र सरकार/राजस्थान राज्य सरकार स्तर पर पर्यावरण सवंधी चलाये जाने वाली योजनाओ में सहयोग एवं योगदान करना ।

4.निजी एवॅ सामाजिक संगठनों को पर्यावरण के विभिन्न कार्यो से जोडना। सामाजिक व धार्मिक स्थलों पर वृक्षारोपण हेतु उन्हें जागरूक एवं प्रोत्साहित करना एवं उन्हे इस कार्य में सहयोग करना

5.पर्यावरण संतुलन हेतु एवं सरंक्षण हेतु प्रचार प्रसार करना । नुक्कड सभाए करना,रात्रि चौपाल करना,सामुदायिक सभाए करना,जन चेतना शिविर आयोजन करना,प्रशिक्षण सेमिनार कराकर सामुदायिक भागीदारी तय करना,विशेषज्ञों की राय लेना ।

6.वृक्षारोपण में नीम,पीपड,बड,खेजडी,सिरस,सैजना,[illegible] जामुन,अर्जुन छाल,शीशम,आम,करंज एवं शहतूत आदि [illegible] के पेड लगाना ताकि कम पानी की आवश्यकता [illegible] वृध्दि करते हो ।

Digitally Signed by Ram Dayal Meena
Designation : REGISTRAR
Date: 2019.02.27 14:17:37 IST
Reason: Approved
Location: KARAULI

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

7.वृक्षो की वृध्दि स्थिति अनुसार वयस्क होने पर तीन वर्ष से पांच वर्ष के मध्य वृक्षों को सम्बन्धित विभागो को उनके स्वामित्व में दिया जाना शामिल है ।

8.पर्यावरण सरंक्षंण एवं संतुलन के अन्तर्गत पक्षियों विशेषतौर पर छोटी चिडिया "गौरया" जो लुप्त होने के कगार पर है,के सरंक्षण तथा वंश वृध्दि हेतु मिटटी के पक्के धोंसले व लकडी के धोंसले,ग्रामीण क्षैत्र में ग्रामीण सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुये ग्रामीणो के घरो,आंगनों,पेडों एवं आवश्यक उचित स्थानों पर लगाना ।

9.पर्यावरण सरंक्षण के तहत पक्षियों को बचाने के लिये उनको पीने के लिये पानी उपलब्ध कराने हेतु ग्रामों में निश्चित स्थानों पर ग्रामीण समुदाय को मिटटी के परिंडा उपलब्ध कराना एवॅ उनमें प्रतिदिन पानी भरने की व्यवस्था करना तथा पक्षी विशेषज्ञो की राय लेकर जन चेतना जागृत करना।

10.वृक्षारोपण एवं उनके सरंक्षण,पक्षियों के सरंक्षण,सफाई रखने, बिजली पानी बचाने एवं प्लास्टिक का उपयोग बन्द कराने के लिये,वृक्ष कटाई वन्द कराने के लिये समय समय पर ग्रामीण समुदाय को जन चेतना शिविर व्दारा,सभाओ व्दारा,नुक्कड सभाऐ तथा रात्रि चौपाल कर समझाइश करना एवं दुरूपयोगों से रोकने का प्रयास करना ।

11.पर्यावरण सरंक्षण के अन्तर्गत बिजली(विधुत)बचाने के तहत ग्रामीण क्षैत्रों में दिन में भी विना उपयोग के भी बिजली वल्वो को जलते ही छोड देने से रोकने हेतु समझाइश करना ,आवश्यकतानुसार उनके लिये वल्व बन्द करने के लिये चटकनी लगवाना एवं चटकनी उपलब्ध कराना ।

12.वित्तिय स्थिति को मददेनजर रखते हुये वृक्ष पौधशाला तैयार करने,टी गार्ड तैयार करना,घौसले व परिंडा निर्माण कार्य सम्मिलित किया जा सकेगा ताकि ससांधनो की पूर्ति कम लागत में तैयार की जा सके ।

13.मानव सेवा के अन्तर्गत समय समय पर होने वाली मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु ऐतियात वरतने के लिये जन चेतना शिविर आयोजित करना,समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण केंम्प आयोजित कराना,ऑखों की जांच हेतु कैम्प आयोजित करना तथा रक्तदान शिविर आयोजित कराना व समुदाय को प्रोत्साहित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही है।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष